राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील आबकारी संख्या – 1854/2013/जोधपुर

श्रीमति रेखा पत्नि स्व. श्री सोमबीर, आयु–33 वर्ष,
जाति–जाट, निवासी–गांव खुंगाई, तहसील–झज्जर,
हरियाणा। .....अपीलार्थी.

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये सेकेटरी,
कार्यालय–आबकारी कार्यालय, जोधपुर ।
2. आयुक्त, कार्यालय, आबकारी राजस्थान, उदयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त, कार्यालय–आबकारी जोधपुर।
4. जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर ।
5. स्टेशन हाऊस अधिकारी, खेडपा, जिला–जोधपुर।
6. जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर । .....अप्रार्थीगण
7. सुनील चौधरी पुत्र श्री हसंराज चौधरी, निवासी–बी.
जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर ।

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वेदराज गहलोत,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. एस. राठौड़,
उप–राजकीय अधिवक्ता। .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक –07-04.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर (जिसे आगे "आयुक्त" कहा जायेगा) के आदेश क्रमांक प–29(बी)/पीएस/वाहन/2010 दिनांक 08.11.2010 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे 'आबकारी अधिनियम' कहा गया है) की धारा 9ए के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर द्वारा आयुक्त को अवगत करावाया गया कि जोधपुर जिले के पुलिस थाना द्वारा मदिरा के अवैद्य परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के वाहन स्वामियों के विरूद्ध अभियोग पंजिकृत कर वाहन जप्त किये गये हैं जिनमें अपीलार्थी का **वाहन संख्या एच.आर. 63 बी–0127** भी सम्मिलित था। जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर के अनुसार इन प्रकरणों में जप्त वाहन काफी समय से संबंधित थानों में पड़े हुए है जिससे इनकी दशा खराब होती जा रही है एवं इनके बाजार मूल्य में भी गिरावट आ रही है। उक्त तथ्य को मद्देनज़र रखते हुये आयुक्त द्वारा आबकारी अधिनियम, की धारा 54 (क) के प्रावधानानुसार मदिरा के अवैद्य परिवहन में प्रयुक्त वाहन को अधिहरण किये जाने का प्रावधान होने के कारण आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा, 69(4) के अनुसार ऐसे वाहनों के अधिहरण के

लगातार.....2

आदेश जारी करने से पूर्व वाहंन स्वामी को अधिहरण से मुक्ति के विकल्प में जुर्माना राशि (जो वाहन के बाजार मूल्य तक हो सकती है) अदा करने का अवसर प्रदान होना अवधारित कर, वाहनों के वाहन स्वामियों को वाहन अधिहरण से मुक्त कराने हेतु नियमानुसार समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवायी गयी। परन्तु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 27.10.2010 की सात दिवस तय सीमा में किसी भी व्यक्ति के उपस्थित नहीं होने के कारण आयुक्त द्वारा अधिनियम की धरा 69 के तहत् वाहन अधिहरण के एक माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वामित्व नहीं दर्शाने/प्रमाणित न करने व निर्धारित समय सीमा मे जुर्माना राशि राजकोष में जमा नहीं करवाने के कारण अपीलार्थी के वाहन जो **एच.आर. 63 बी–0127** पर पंजीकृत है, को अधिहरण होना अवधारित कर, आदेश दिनांक 08.11.2010 पारित किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही व आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2010 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी. सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 151/2011 दायर की गयी। दायर याचिका के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 18.09.2013 को आदेश पारित कर, प्रकरण को कतिपय बिन्दु पर कर बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रतिप्रेषित किया गया। जिसकी सुनवायी कर, निर्णय पारित किया जा रहा है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी के पति स्व. श्री सोमवीर ट्रक के पंजीकृत मालिक थे जिसका पंजीकरण संख्या **एच. आर. 63 बी–0127, इंजन नं. E483Cb6J 149299 CHASISS NO. 33 HC 6j 014442 एवम् उक्त वाहन आर.टी.ओ झज्जर, हरियाणा में पंजीकृत है।** अग्रिम अभिवाक् किया कि दिनांक 28.06.2009 को उक्त वाहन चालक श्री राजेश व क्लीनर वेदपाल उर्फ गोविन्द ट्रक में टॉफी, नमकीन आदि लाद कर, हसनगढ़ इंदोरिया गोदाम के लिए रवाना हुये थे एवम् दिनांक 27.06.2009 को सांय 6 बजे ट्रक का सामान खाली कर, ट्रक को चौधरी ट्रांसपोर्ट के पास खाली प्लॉट में खड़ा कर दिया । दिनांक 28.06.2009 कि रात को ट्रक चोरी हो गया। उक्त वाहन के चोरी की सूचना वाहन मालिक के भाई श्री पवन कुमार ने पुलिस थाना सांपला, जिला रोहतक में दर्ज करवायी गयी जो एफ.आई.आर. क्रमांक 212 दिनांक 28.06.2009 दर्ज कर, धारा 379 आई.पी.सी. के तहत् जांच संबंधित थानाअधिकारियों द्वारा शुरू की गयी। कथन किया कि लगभग तीन माह पश्चात् उक्त वाहन को एस.एच.ओ. खेडापा, जिला जोधपुर राजस्थान द्वारा उक्त वाहन पर **फर्जी पंजीकरण क्रमांक एच.आर 46/बी 9940 अंकित कर,** अपीलार्थी के वाहन

लगातार.....3

जिसका मूल पंजीकरण **एच.आर. 63 बी–0127, है,** के जरिये अवैद्य अंग्रेजी शराब मोनू उर्फ श्री भगवान व क्लीनर हरेन्दर द्वारा परिवहन करने पर उक्त वाहन को जप्त किया। एस.एच.ओ. खेडापा, जिला–जोधपुर द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, अवैद्य अंग्रेजी मदिरा को जप्त कर, एफ.आई.आर. नं. 100/2009 अर्न्तगत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी एक्ट के तहत् दर्ज की गयी। अनुसन्धान के दौरान पुलिस थाना खेडापा, जिला जोधपुर द्वारा अपीलार्थी के पति से पूछताछ करने पर उसके द्वारा यह जाहिर किया गया था कि उक्त जब्त किया गया वाहन उसका है एवम् उक्त दिनांक 27.06.2009 को चोरी हो गया एवम् उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त का प्रयोग मदिरा के अवैध परिवहन के लिये किया जा रहा है। कथन किया कि अनुसन्धान पूर्ण होने पर पुलिस थाना खेडापा, जिला जोधपुर द्वारा अभियुक्त मोनु उर्फ श्री भगवान, हरेन्दर व बिशन सिंह के खिलाफ चार्ज शीट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपार शहर जिला जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। तत्पश्चात्, अपीलार्थी को सूचना प्राप्त होने पर कि वाहन को अवैद्य शराब परिवहन करने के कारण पुलिस थाना खेडापा द्वारा जब्त किया गया है अपीलार्थी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के समक्ष वाहन को उसे सौपने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 457 सी.आर.पी.सी के तहत् प्रस्तुत किया गया । इस संबंध में विशिष्ट रूप से कथन किया कि उक्त समस्त घटनाक्रम में अपीलार्थी इस तथ्य की जानकारी कतई नहीं थी कि उसके ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर उसका इस्तेमाल अवैद्य शराब परिवहन हेतु किया जा रहा है। न्यायिक मजिस्ट्रट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 16.08.2010 जब्त वाहन को छोड़ने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। अग्रिम अभिवाक् किया कि यही नहीं एस.एच.ओ. पुलिस थाना सांपला, जिला–रोहतक, हरियाणा ने प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2010 को प्रस्तुत कर, आयुक्त आबकारी कार्यालय राजस्थान उदयपुर के समक्ष उक्त ट्रक को सुपुर्द करने के लिये प्रस्तुत किया गया एवम् दर्ज एफ.आई.आर. क्रमांक 212 के संबंध में अनुसन्धान के लिए मांग की परन्तु आयुक्त द्वारा उक्त ट्रक को सुपुर्द करने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया गया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अग्रिम कथन किया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 16.08.2010 को खारिज किये प्रार्थना पत्र के संबंध में पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र माननीय जिला न्यायाधीश जोधपुर के समक्ष पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दायर किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा को उक्त पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या–3 जोधपुर को अन्तरित कर दिया गया । माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र को जब्त वाहन को छोड़ने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के

लगातार.....4

कारण, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 14.10.2010 को खारिज कर दिया गया। दिनांक 14.10.2010 के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.क्रीमनल मिसलेनियस पिटिशन 1557/2010 दिनांक 09.11.2010 को 482 सी.आर.पी.सी. के तहत् प्रस्तुत की गयी परन्तु उक्त पिटीशन पर माननीय न्यायालय के निर्णय से पूर्व ही आयुक्त द्वारा अपीलार्थी के वाहन के संबंध में निलामी हेतु सूचना दिनांक 27.10.2010 को प्रकाशित कर दी गयी ।

6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अग्रिम अभिवाक किया कि अप्रार्थीण को अनुसंधान के दौरान भलीभांति यह जानकारी थी की अपीलार्थी ही उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है एवम् इस तथ्य से भी परिचीत थे कि अपीलार्थी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसके ट्रक में अवैद्य शराब परिवहन कि जा रही थी। कथन किया कि प्रार्थी जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक 2157 दिनांक 08.11.2010 के जरिये प्रार्थी आयुक्त वाहनों को राज्यहित में अधिहरण करने हेतु अनुशंषा की गयी है, उसमें वाहन संख्या **एच.आर. 46/बी 9940** अंकित है (आयुक्त द्वारा जारी आदेश में भी उक्त पंजीकरण क्रमांक ही अंकित है) जो कि फर्जी था, जबकि जब्तशुदा वाहन जो कि अपीलार्थी के पति के नाम पंजीकृत है एवम् जिसका पंजीकरण क्रमांक एच.आर. 62बी—0127 जिसका इंजन नं. E483Cb6J 149299 CHASISS NO. 33 HC 6j 014442 न तो आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2010 में अंकित है एवम् न ही इस संबंध में आयुक्त द्वारा प्रकाशित सूचना दिनांक 27.10.2010 में ही अंकित है । कथन किया कि उक्त आधार पर अपीलार्थी को किस प्रकार ज्ञात हो सकता थी कि उसका वाहन जो चोरी हो गया था, अधिनियम की धारा 60 के तहत् राजसात कर, निलामी की कार्यवाही की जा रही है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2010 की पालना में, जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर द्वारा नीलामी की कार्यवाही दिनांक 29.11.2010 को कर, अपीलार्थी के पति के नाम पंजीकृत वाहन को ₹6,00,000/— में नीलाम कर, प्रार्थी संख्या 7 को सुपुर्द कर दिया गया, जिसका भुगतान करने पर उक्त वाहन का कब्जा प्रार्थी संख्या—7 को दे दिया गया। यही नहीं जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर द्वारा जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी को दिनांक 07.01.2011 पत्र लिख/प्रेषित कर, वाहन का पंजीकरण प्रार्थी सुनील चौधरी के पक्ष में करने के संबंध में अनुशंषा की गयी, जिसकी पालना में जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने वाहन का पंजीकरण प्रार्थी संख्या—7 के पक्ष में कर दिया गया । उक्त समस्त कार्यवाही व आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2010 से व्यथित होकर

लगातार.....5

अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी. सिविल रिट पिटीशन कमांक 1515/2011 दायर की गयी । दायर याचिका के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 18.09.2013 को आदेश पारित कर, प्रकरण को कतिपय बिन्दु पर कर बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रतिप्रेषित किया गया।

8. पुनः गुणावगुण पर कथन किया कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2010 प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण पूर्णत अविधिक एवम् अनुचित है क्योंकि अपीलार्थी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जबकि प्रार्थीगण इस तथ्य से अवगत थे कि वाहन अपीलार्थी का है जैसा कि एस.डी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, पीपाड शहर द्वारा अपीलार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र धारा 457 सी.आर.पी.सी को खारिज करने संबंधी आदेश दिनांक 16.08.2010 जारी किये गये है, में अंकित हैं। इस संबंध में अधिनियम की धारा 69(4) की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि उक्त धारा में आदेश पारित करने से पूर्व सुनवायी का अवसर प्रदान करने संबंधी स्पष्ट प्रावधान अंकित है

"Provided that before ordering confiscation of the said means of conveyance a reasonable opportunity of being heard shall be afforded to the owner of the said means of conveyance and if such owner satisfies the Excise Commissioner or the officer authorized by the State Government in this behalf that he had no reason to belive that such offence was being or likely to be committed and he had exercised due care in the prevention of the commission of such an offence, the Excise Commissioner or the officer authorized by the State Government in this behalf, may not confiscate the said means of conveyance.

9. पुनः अभिवाक् किया कि अपीलार्थी को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि उसके वाहन जो कि दिनांक 27.010.2009 को चोरी हो गया था का इस्तेमाल शराब के अवैध परिवहन हेतु किया जा रहा है एवम् उक्त चोरी की सूचना एस.एच.ओ. पुलिस थाना खेडपा, एफ.आई.आर. नं. 100/2009 पर दर्ज करवायी गयी थी। कथन किया कि जब शराब का अवैध परिवहन उसके वाहन से किया जा रहा था, उस समय वाहन पर **फर्जी पंजीकरण कमांक HR 46B 9940 अंकित था एवम् उक्त पंजीकरण कमांक की ही सूचना अखबार में प्रकाशित कर, आदेश 08.11.2010 पारित किया गया है जो**

लगातार.....6

विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा दर्ज एफ.आई.आर के क्रम में जांच अधिकारी एस.एच.ओ. पुलिस थाना खेडपा ने अपीलार्थी को दोषी नहीं पाया गया एवम् न ही कोई इस संबंध में अपीलार्थी के विरूद्ध चार्जशीट दायर की गयी उक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी कि उसके ट्रक का इस्तेमाल अंग्रेजी शराब के परिवहन में किया जा रहा था एवम् अपीलार्थी का वाहन नीलामी हेतु राजसात किया गया है । तर्क दिया कि अधिनियम के प्रावधानानुसार जब किसी वाहन को अधिनियम के तहत् जप्त किया जाता है तो उसके पंजीकृत स्वामी को नोटिस व पूर्ण सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिये । अपीलार्थी के प्रकरण में प्रार्थीगण इस तथ्य से ज्ञात थे कि जब्तशुदा/नीलामी हेतु राजसात वाहन अपीलार्थी के पति के नाम से पंजीकृत है । अपीलार्थी द्वारा वाहन को छुडाने के लिये न्यायालय में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है । जिला आबकारी अधिकारी ने अपने पत्रांक 2157 दिनांक 08.11.2010 में पूर्णतः गलत तथ्य अंकित है कि वाहन स्वामी, वाहन को मुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि आयुक्त द्वारा जिस दैनिक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित करवाया गया वह केवल राजस्थान में ही प्रकाशित हुआ एवम् उसमें भी अपीलार्थी के वाहन का पंजिकरण क्रमांक **HR 46B 9940** अंकित था जबकि वास्तविक पंजीकरण क्रमांक एच.आर. 63 बी–0127 है । जब अपीलार्थी पुलिस थाना खेड़पा वाहन की जानकारी के लिये आया तो उसे पता लगा कि उसका वाहन तो आबकारी द्वारा जप्त कर, प्रार्थी संख्या–7 को नीलाम कर दिया गया है । अतः उक्त समस्त आधारों व अधिनियम की धारा 69(8)(सी) की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान हैं कि **where in a prosecution instituted for commission of offence under this Act in respect of which an order of confiscation has been made under this section, the person concerned is acquitted, be paid, returned or refunded, as the case may be, to its owner** कथन किया कि अपीलार्थी के प्रकरण में भी उसके वाहन को अवैध शराब के परिवहन का दोषी नहीं पाया गया है एवम् न ही संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई चार्जशीट दाखिल की गयी है । अतः आयुक्त द्वारा पारित आदेश में अपीलार्थी के वाहन के पंजीकरण क्रमांक अंकित नहीं होने, अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किये जाने के कारण व दैनिक अखबार में भी अपीलार्थी के वाहन का पंजीकरण क्रमांक अंकित कर, उक्त की नीलामी की सूचना प्रकाशित नहीं होने के कारण, आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिविरूद्ध एवम् अनुचित है । अतः अपीलार्थी द्वारा उक्त तर्कों व कथनों के आधार पर निम्न प्रार्थना की गयीः–

लगातार.....7

आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2010 को विधिविरूद्ध, प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विरूद्ध घोषित कर, उक्त पारित आदेश को खारिज करने की प्रार्थना की गयी ।

अपीलार्थी के वाहन को जप्त कर, दिनांक 08.11.2010 के आदेशानुसार जो प्रकिया अपनायी जाकर, वाहन जिसका पंजीकरण संख्या एच.आर. 63 बी–0127 है, को नीलाम किया गया है, उक्त अपनायी गयी प्रकिया व पारित आदेश दिनांक 08.11.2010 को खारिज करने का निवेदन किया गया ।

अप्रार्थी संख्या–6 द्वारा अपीलार्थी के वाहन का पंजीकरण संख्या अप्रार्थी–7 के नाम जारी किया गया है, को खारिज करने की प्रार्थना की गयी ।

अप्रार्थीगण द्वारा अपीलार्थी के नीलाम किये गये वाहन जिसका पंजीकरण क्रमांक एच.आर. 63–बी–0127 है, को अपीलार्थी को सुपुर्द करने की प्रार्थना की गयी ।

10. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2010 को विधिसम्मत एवम् अधिनियम के प्रावधानानुसार पारित किया जाना प्रकट कर, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

11. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । हस्तगत प्रकरण में निर्णय से पूर्व यह पीठ अधिनियम के कतिपय सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझती है।

अधिनियम की धारा–69 में मदिरा के अवैध परिवहन में काम में लिये जाने रहे वाहनों के अधिहरण के संबंध में विस्तृत प्रावधान अधिनियम की धारा 69 के तहत् किये गये हैं जिसकीं उप–धारा (3) व 9 में यह प्रावधित है:–

धारा–69 (3):–When anything mentioned in sub-section(1) is found in circumstances which afford reason to believe that an offence under this Act has been committed in respect or by means thereof or when such an offence has been committed and the offender is not known or cannot be found, the Excise Commissioner may order confiscation of the same.

12. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मदिरा के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने की दृष्टि से अध्यादेश दिनांक 03.01.2000 द्वारा अधिनियम, 1950 में मदिरा के अवैध

लगातार.....8

परिवहन में काम में लिये जाने रहे वाहनों के अधिहरण के संबंध में विस्तृत प्रावधान अधिनियम की धारा 69 के तहत् उप–धारा (4) से (9) जोड़ कर किये गये हैं जिसमें धारा 69(4) में निम्न प्रकार प्रावधारित है कि:–

> अधिनियम की धारा 69(4):– जब उप–धारा (1) के खण्ड (ड) में वर्णित प्रवहण का कोई साधन, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कारित करने के संबंध में अभिग्रहण किया जाता है तो अभिग्रहण करने वाने व्यक्ति द्वारा ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, बिना युक्तियुक्त विलम्ब के, आबकारी आयुक्त अथवा ऐसा अधिकारी,, जो जिला आबकारी अधिकारी से निम्न श्रेणी का नहीं है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया जाये, को देगा और ऐसे अपराध को कारित करने के बारे में अभियोजन दायर किया जाता है अथवा नहीं, आबकारी आयुक्त अथवा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिसके अधिकारिता वाले क्षेत्र में उपरोक्त वर्णित प्रवहरण का साधन अभिग्रहीत किया गया था, अगर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि प्रवहण के साधन का उपयोग इस अधिनियम के अधीन अपराध को कारित करने के लिये किया गया था तो, वह प्रवहण के उपोक्त वर्णित साधन को अधिहरण करने का आदेश दे सकता है ।

13. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त धारा में जरिये अध्यादेश दिनांक 03.01.2000 के यह भी प्रावधाति किया गया है कि कुछ मामलों में उपलब्ध पते पर नोटिस दिये जाने के उपरांत भी कोई वाहन स्वामी उपस्थित ही नहीं हो एवम् उसका वाहन धारा 69(4) के तहत् अधिहरित करने का एकतरफा निर्णय संबंधित अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा ।

14. अब इस पीठ के समक्ष जो निर्णयार्थ बिन्दु शेष है वह यह कि क्या कर बोर्ड को अधिहरण किये गये वाहन की सुपुर्दगी, निस्तारण एवम् निर्मुक्ति (release) के संबंध में अधिकारित प्राप्त है कि नहीं ? इस संबंध में अधिनियम की धारा 69(6) का अध्ययन किया जाना आवश्यक है, जिसका मूल पाठ इस प्रकार है:–

> धारा–69 (6): **Whenever any means of conveyance as referred to in clause (e) of sub-section (1) is seized in connection with commission of an offence under this Act, the Excise Commissioner or any officer authorized in this behalf by the State Government shall have, and, notwithstanding anything contained in any law**

लगातार.....9

for the time being in force any court, tribunal or other authority shall not have, jurisdiction to make order with regard to the possession, delivery, disposal, release of such means of conveyance.

15. उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि जब कभी भी अधिनियम के अधीन कारित अपराध से संबंधित प्रवहण का कोई साधन अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहरण के **ऐसे साधन के कब्जे, सुपुर्दगी, निस्तारण और निर्मुक्ति (release) के बारे में आबकारी आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आदेश देने की अधिकारिता होगी,** और तत्सयम प्रवृत किसी भी विधि में उपबंधित किसी बात के होते हुये भी, **किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उपरोक्तनुसार अधिकारिता नहीं होगी।** उक्त प्रावधानों के अध्ययन के पश्चात् यह पीठ यह निर्णित करती है कि हस्तगत प्रकरण में अधिनियम के अधीन कारित अपराध में साधन **के बारे में आबकारी आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आदेश देने की अधिकारिता है एवम् कर बोर्ड को उपरोक्तनुसार अधिकारिता नहीं है ।** माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में दायर अन्य याचिकाओं के साथ निर्देश दिये गये हैं कि अपीलेंट ऑथोरिटी शास्ति को कम करने की प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगें। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जप्तशुदा वाहन आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2010 के क्रम में नीलाम हो चुका है एवम् उक्त वाहन को सबसे अधिक बोलीकर्ता अप्रार्थी संख्या–7 को सुपुर्द भी कर दिया गया है यही नहीं वाहन का पंजीकरण अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अप्रार्थी संख्या–7 के पक्ष में जारी भी कर दिया गया है यहीं नहीं हस्तगत प्रकरण में शास्ति का बिन्दु विवादित भी नहीं है । अतः माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में शास्ति को कम करने संबंधी आदेश पारित किया जाना संभव ही नहीं है । फलस्वरूप, हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु पर कर बोर्ड को अधिकारित के अभाव में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी उक्त आदेश के विरूद्ध उच्चस्तरीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है ।

16. परिणामतः, अस्वीकार की जाती है ।

17. निर्णय सुनाया गया ।

7-4-14

(अमर सिंह)
सदस्य

7.4.2014

(मदन लाल)
सदस्य